पहले दर्जे के यात्रियों के लिए शायिकाओं का आरक्षण 9.0 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक की रात्रि यात्रा के लिए किया जाता है। बाकी दिन के दौरान इस प्रकार के आरक्षण वाले व्यक्तियों को केवल बैठने का स्थान दिया जाता है जिससे पहले दर्जे के और अधिक टिकट / पास धारी यात्री पहले दर्जे के डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं।

Indo US-Amity

4413. SHRI H. N. NANJE GOWDA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister is trying to improve relations with the United States;

(b) if so, whether it is also a fact that correspondence between the two have also been exchanged;

(c) is it also a fact that during the Cancun meeting Prime Minister had very lengthy discussions with the US President there;

(b) if so, to what extent the relations between the two countries have improved after this meeting and whether any agreements for improvement of trade etc. have been agreed upon; and

(e) if so, the details of the same?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) The Government of India is trying to further strengthen relations with the United States.

(b) There has been an exchange of correspondence between the Prime Minister and the US President.

(c) Yes, Sir. The Prime Minister held discussions with the US President at Cancun.

(d) It is hoped that the meeting resulted in a better understanding of Indian views on the part of the United States. However, no agreements were signed between the two countries.

(e) Does not arise.

रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था

4414. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने विगत अगस्त मास में रलगाडियों में गैर-सरकारी खान-पान व्यवस्था को बंद करने के तथा विभागीय खान-पान व्यवस्था आरम्भ करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रेल प्रशासन के उक्त निर्णय को अब तक क्रियान्वित नहीं कर सकी है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) अगस्त, 1981 में उन सभी चल खान-पान यूनिटों को, जो आजकल प्राइवेट प्रबंध के अन्तर्गत हैं, विभागीय प्रबंध में लेने का विचार किया गया था। वित्तीय तथा संगठनात्मक निहितार्थों का अंतिम रूप से अध्ययन होने तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। अन्तिम निर्णय खान-पान सेवाओं के प्रयोजन के अनुरूप सुधार के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।